



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 3400/40/76/एक/2018-18

दिनांक: 13/09/2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
सम्बन्धित जनपद।

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी मिशन) के उपघटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी०एल०सी०) के अन्तर्गत जनपद द्वारा अपलोड की गई लाभार्थियों की सूचना के आधार पर अभिकरण मुख्यालय द्वारा **"Paid by Higher Level Agency A/C"** के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बीएलसी) में जनपद द्वारा योजनान्तर्गत पीएफएमएस पोर्टल पर जनपदवार लाभार्थियों की संख्या/सूची इस आशय से अपलोड की गई थी कि योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की धनराशि शासन के निर्देशानुसार लाभार्थी के खाते में सीधे स्थान्तरित की जाये। तदक्रम में जनपद द्वारा निम्न विवरणानुसार पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के क्रम में **"PAID BY HIGHER LEVEL AGENCY A/C"** के द्वारा धनराशि सम्बन्धित लाभार्थियों के खाते में निम्नविवरणानुसार प्रेषित की जा चुकी है:-

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि जनपद से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के अनुसार		
			प्रथम स्तर धनराशि रू० 50000.00 प्रति लाभार्थी	द्वितीय स्तर धनराशि रू० 150000.00 प्रति लाभार्थी	कुल धनराशि (रू०) में
1.	वाराणसी	173	0	173	25950000
2.	औरैया	38	0	38	5700000
3.	मिर्जापुर	56	0	56	8400000
4.	मुरादाबाद	47	0	47	7050000
5.	ललितपुर	139	139	0	6950000
6.	मैनपुरी	55	0	55	8250000
7.	देवरिया	12	0	12	1800000
8.	लखीमपुरखीरी	70	0	70	10500000
9.	गोरखपुर	54	53	1	2800000
10.	गोरखपुर	9	9	0	450000
	योग	63	62	1	3250000
	कुल योग	653	201	452	77850000

1. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण सहित प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. लाभार्थी को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी द्वारा प्रश्नगत कार्य नियमानुसार किये गये है तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुरूप पात्र है।

भवदीय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि :-

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. श्री योगेश आदित्य, सहायक अधिकारी/वेबमास्टर/अनिल कुमार सिंह, सूडा।
4. अपर निदेशक/निदेशक महोदय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

